

27/3/23

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली के विषयगत
विषयगत विषयगत अडविलिग विषयगत
को बार-बार आवाजे लगाई गई
इसके बावजूद भी अधिलेख नहीं हुए
विषयगत के निम्न एक तरफ कार्य नहीं
की जाती है वह पत्रावली पर एक
पत्रावली हुयी जाती, आतः पत्रावली का
प्रार्जन पर चार 11-12 L.A. का
स्वीकार किया जाता है निम्न प्रत्येक
के बिना जोर बाध रहता है अतः
व्यापार के प्रचार में निम्न
लिखित दो पत्रावली के 23 अप्रैल को
वापस चार है।

सपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
45/2023

दायर दिनांक
03.02.2023

निर्णय दिनांक
27.03.2023

उनवान

1. महावीर इन्फ्रा स्टील प्रा0लि0 डायरेक्टर विनोद पिता मदनलाल सिंघवी निवासी भदादा बाग के पीछे भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशन पिता स्व. श्री नारायण लाल गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री सम्पत पिता स्व. श्री नारायण लाल गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री रामलाल पिता स्व. श्री जग्गु गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री कालू पिता स्व. श्री जग्गु गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री त्रिलोक पिता स्व. श्री प्रताप गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री उदा पिता स्व. श्री प्रताप गुर्जर गुर्जर निवासी मुजरास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री उदय सिंह चारण
एक तरफा विपक्षीगण

— विपक्षीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय ::-

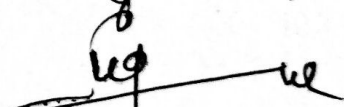
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुझरास प0ह0 मुझरास भू00अ0नि0क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 112 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 100, 102, 103, 107/1, 108, 109, 111/6, 111/7, 111/8, 99/1 किता 10 कुल रकबा 2.9661 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.03.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुझरास प0ह0 मुझरास भू00अ0नि0क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 112 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 100, 102, 103, 107/1, 108, 109, 111/6, 111/7, 111/8, 99/1 किता 10 कुल रकबा 2. 9661 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा